

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड  
(आप.प्रक.क्रमांक :- 236 / 2014)  
(संस्थित दिनांक :- 28 / 03 / 2014)

म.प्र. राज्य,  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद।  
 जिला-भिण्ड., म.प्र. .... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. देवेन्द्र कुशवाह पुत्र सरनाम सिंह कुशवाह, उम्र 32 वर्ष।  
 निवासी :- छेकुर वाले हनुमान जी के पास वार्ड क्रमांक 12  
 गोहदी गेट गोहद, थाना-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।  
 ..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

( आज दिनांक : 20 / 02 / 2018 को घोषित )

01. आरोपी देवेन्द्र सिंह पर धारा :- 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 21 / 03 / 2014 को शाम लगभग 08:15 बजे गोहदी गेट छेकुर वाले हनुमान चौक बरगद के पेड़ के पास गोहद सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।बी (I) दिनांक : 22 / 11 / 1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 21 / 03 / 2014 को थाना गोहद के थाना प्रभारी जे.पी.भट्ट को कस्बा भ्रमण के दौरान पप्पू कुशवाह ने मोबाइल पर सूचना दी कि आरोपी देवेन्द्र सिंह कुशवाह अपनी पत्नी भारती से झगड़ा कर रहा है एवं लोहे की छुरी मारने के लिए हाथ में अवैध रूप से लिए हुये हैं, सूचना की तश्दीक हेतु मयफोर्स प्रधान आरक्षक रामकुमार, आरक्षक सुनील एवं साक्षी मुन्नालाल खटीक के साथ पहुँचकर समझाईश दी तो आरोपी देवेन्द्र पत्नी को मारने के लिए आमदा हो गया, संगीन वारदात की आशंका होने पर आरोपी को धारा 151 द.प्र.सं. के तहत गिरफ्तार किया गया, आरोपी के दाहिने हाथ से एक धारदार छुरी जब्ती पत्रक के मुताबिक जब्त की गई। आरोपी से उक्त आयुध रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् मय माल-मुल्जिम थाना वापस आकर आरोपी के

विरुद्ध अपराध क्रमांक 87/2014 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रधान आरक्षक रामकुमार एवं साक्षी मुन्ना खटीक के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त देवेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपी देवेन्द्र सिंह ने दिनांक :- 21/03/2014 को शाम लगभग 08:15 बजे गोहदी गेट छेकुर वाले हनुमान चौक बरगद के पेड़ के पास गोहद सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-1।बी (I) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी जे.पी.भट्ट अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 21/03/2014 को थाना गोहद में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पप्पू कुशवाह, निवासी :- गोहद ने मोबाइल फोन पर सूचना दी कि देवेन्द्र सिंह कुशवाह अपनी पत्नी भारती से झगड़ा कर रहा है और लोहे की छुरी अवैध रूप से मारने के लिए हाथ में लिये है। साक्षी आगे कहता है कि उक्त सूचना पर वह तत्काल मय प्रधान आरक्षक रामकुमार, चालक सुनील एवं साक्षी मुन्नालाल खटीक के साथ मौका गोहदी गेट छेकुर हनुमान जी चौक बरगद के पेड़ के पास पहुँचकर उसके द्वारा आरोपी देवेन्द्र सिंह को मौके पर संगीन वारदात घटित करने की आशंका पर धारा 151 द.प्र.सं. के

तहत गिरफ्तार कर आरोपी के अवैध कब्जे से एक छुरी लोहे की 16 इंच लम्बी, जिसकी मूठ 05 इंच एवं फल 11 इंच था, साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् मय माल आरोपी को थाना वापस लाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 87/2014 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् प्रकरण की विवेचना एसआई तोमर को सौंप दी थी।

08. अभियोजन साक्षी रामकुमार गोस्वामी अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 21/03/2014 को थाना गोहद में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह थाना प्रभारी जे.पी. भट्ट के साथ था, तो उसे टी.आई.साहब ने बताया कि टेलीफोन पर सूचना मिली है कि छेकुर वाले हनुमान जी गोहद पर देवेन्द्र कुशवाह हाथ में छुरी लिये खड़ा हुआ है एवं अपनी पत्नी भारती की मारपीट कर रहा है। सूचना की तश्दीक हेतु वह टी.आई. साहब के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचे तथा रास्ते में मुन्ना खटीक को भी टी.आई.साहब ने फोन लगाकर सूचना से अवगत कराया एवं छेकुर वाले हनुमान जी गोहद लेकर पहुँचे, तभी वहाँ जाकर देखा एक व्यक्ति हाथ में छुरी लिये मिला जो कि पत्नी से झगड़ा कर रहा था। साक्षी आगे कहता है कि टी.आई. साहब ने आरोपी से नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम देवेन्द्र सिंह कुशवाह, निवासी : छेकुर वाले हनुमान जी का होना बताया तथा उसकी पत्नी का नाम पूछने पर उसने नाम भारती बताया। आरोपी से छुरी के संबंध में लाईसेंस वावत् पूछे जाने पर, लाईसेंस ना होना व्यक्त किया। टी.आई. साहब ने मौके पर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में नगर निरीक्षक जे.पी.भट्ट अ.सा. 04 ने यह दर्शित किया है कि वह थाने से शासकीय वाहन से प्रधान आरक्षक शर्मा, आरक्षक सुनील एवं साक्षी मुन्नालाल के साथ रवाना हुआ था। जबकि उसके कथित हमराह साक्षी प्रधान आरक्षक रामकुमार अ.सा.03 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि सूचना की तश्दीक हेतु वह टी.आई.साहब के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचा तथा रास्ते में साक्षी मुन्ना खटीक को भी टी.आई.साहब ने फोन लगाकर सूचना से अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि यदि जे.पी.भट्ट अ.सा.04 के बताये अनुसार साक्षी मुन्ना खटीक अ.सा.01 थाने से ही पुलिस बल के साथ मौके पर गया था, तो उसे रास्ते में टेलीफोन पर जे.पी.भट्ट अ.सा.04 द्वारा सूचना से अवगत कराया जाना आवश्यक नहीं था। इससे यह दर्शित होता है कि थाने से ६

टिनास्थल पर मुन्ना खटीक के पुलिस बल के साथ जाने के संबंध में निश्चय ही जे.पी.भट्ट अ.सा.04 एवं रामकुमार अ.सा.03 में से कोई एक असत्य कथन कर रहा है। उल्लेखनीय यह भी है कि मुन्ना खटीक अ.सा.01 ने पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है और प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में मुन्ना खटीक अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि जिस समय जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक पर उसके हस्ताक्षर कराये गये थे, उस समय वह अकेला था, रामकुमार दीवान जी अ.सा.03 वहाँ नहीं थे और उक्त हस्ताक्षर टी.आई साहब अर्थात् जे.पी.भट्ट अ.सा.04 ने उससे थाने पर करा लिया थे। इस प्रकार आरोपित घटना में आरोपी देवेन्द्र सिंह से साक्षीगण मुन्ना खटीक अ.सा.01 एवं रामकुमार अ.सा.03 के समक्ष अवैध चाकू जब्त होने के संबंध में अभियोजन साक्ष्य संदेहास्पद है।

10. जब्तीकर्ता जे.पी.भट्ट अ.सा.04 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी जब्तशुदा आयुध को मौके पर ही या उसके पश्चात् किसी समय सीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है। जब्ती के एक अन्य साक्षी प्रधान आरक्षक रामकुमार अ.सा.03 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह दर्शित किया है कि उसके सामने जब्तशुदा आयुध को सीलबंद किया गया था, अथवा नहीं, उसे याद नहीं है। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर जब्तशुदा आयुध पर पर्ची लगाकर सीलबंद किये जाने का उल्लेख है, परन्तु इस तथ्य का कोई उल्लेख जे.पी.भट्ट अ.सा.04 अथवा रामकुमार अ.सा.03 द्वारा उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं किया गया। बल्कि रामकुमार अ.सा.03 द्वारा प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह व्यक्त किया गया है कि उसे यह भी याद नहीं है कि उसने जब्तशुदा आयुध पर हस्ताक्षर किये थे, अथवा नहीं। उल्लेखनीय यह भी है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर कोई नमूना सील भी अंकित नहीं है। ऐसी दशा में जब्तशुदा आयुध को हस्ताक्षरयुक्त पर्ची लगाकर सीलबंद किये जाने संबंधी जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में दर्शित तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।

11. प्रकरण के विवेक राजपाल अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 21/03/2014 को थाना गोहद में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना गोहद के अपराध क्रमांक 87/2014 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी और विवेचना के दौरान उसके द्वारा साक्षी मुन्ना खटीक एवं आरक्षक राजकुमार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में विवेक राजपाल अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि साक्षी मुन्ना खटीक ने उसे कोई बयान नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विवेचना के दौरान कथित रूप से टेलीफोन पर घटना की सूचना देने वाले साक्षी पप्पू कुशवाह अथवा आरोपी देवेन्द्र की पत्नी भारती से पूछताछ कर उनके कोई कथन लेखबद्ध नहीं किये गये। जबकि वह अभियोजन कथा के अनुसार हस्तगत प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी होने के कारण

उत्तम साक्षी हो सकते थे। उक्त साक्षीगण के कथन विवेचना के दौरान अंकित ना किये जाने का कोई कारण विवेक राजपाल अ.सा.02 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किया गया। प्रकरण का विचारण प्रारम्भ होने के पूर्व दिनांक : 30/06/2014 को ही कथित रूप से प्रकरण में जब्तशुदा आयुध नष्ट कर दिये जाने के कारण प्रकरण में साक्ष्य के दौरान मालखाने से प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

12. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी देवेन्द्र सिंह ने दिनांक :- 21/03/2014 को शाम लगभग 08:15 बजे गोहदी गेट छेकुर वाले हनुमान चौक बरगद के पेड़ के पास गोहद सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।बी (I) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी।

### अंतिम निष्कर्ष

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी देवेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी देवेन्द्र सिंह को आयुध अधिनियम की धारा 25 ((1-B)(b)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद